मनीराम पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

-- प्रार्थी

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) , अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दिनांकः- 18-10-19

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है किः- प्रार्थी मनीराम ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत पेश किया कि- प्रार्थी के नाम से वाके चक 3 डी.एस.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 90, पत्थर नं. 84/11 के किला नं. 1 से 25 में कुल 25 बीघा यानि 5.7680 हैक्टर रकबा आवंटनशुदा है। उक्त रकबा में से किला नं. 1 ता 18 कमांड/अनकमांड प्रार्थी को भूमिहीन में कीमतन आवंटन है तथा शेष रकबा किला नं. 19 ता 25 का 7 बीघा अनकमाड स्मालपेच में आवंटन शुदा है। उक्त रकबा के दोनों आवंटन पट्टा में प्रार्थी को उक्त रकबा मनीराम पुत्र रामजस के नाम से आवंटन है व मूल आवंटन पत्रावली एवं आवंटन आदेश में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामजस है। प्रार्थी के वोटरकार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामजस दर्ज है। उक्त रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन का इन्तकाल व अमलदरामद का नोट लगाते समय सहबन से प्रार्थी के पिता का नाम रामजस की बजाय जसराम लिखा गया है जो कि गलत है तथा उसी के अनुसार ही आगे राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में प्रार्थी के प्रार्थी के पिता का रामजस के बजाय जसराम अंकन चला आ रहा है जो कि गलत है। प्रार्थी अपने उक्त रकबा पर ऋण स्वीकृत करवाने प्रमाणित जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात प्रमाण-पत्र वगैरा लेने हेतु आया तो प्रार्थी का ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पिता का नाम रामजस की जगह सहबन से जसराम दर्ज है। प्रार्थी अनपढ़, वृद्ध, ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसे पूर्व में इस त्रुटि का कतई इल्म नहीं था। पिता के नाम की इस त्रुटि का इल्म होने पर प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 14.8.2019 को शुद्धि/दुरूस्ती हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार साहब ने पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मांगी। जिस पर पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप दर्ज है कि रकबा प्रार्थी मनीराम पुत्र रामजस को आवंटन है लेकिन गिरदावरी संवत् 2032-2035 में उक्त रकबा के आवंटन आदेश का अमलरामद करते समय मनीराम पुत्र जसराम दर्ज हो गया है जो आदिनांक तक बरकरार है। मुताबिक दस्तावेजात एवं पूछताछ के रकबा पर काबिज काश्त एवं सलंग्न दस्तावेजात में अंकित व्यक्ति एक ही यानि प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी के पिता का नाम जसराम की जगह रामजस किये जाने की शुद्धि की जानी उचित है। लेकिन तहसीलदार साहब ने उक्त प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट का मानकर समस्त पत्रावली श्रीमान् न्यायालय में क्रमांक 4439 दिनांक 14.10.2019 द्वारा भिजवा दी है जो माननीय न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब ने मौखिक रूप से माननीय चाराजोही करने का निर्देश प्रार्थी को दिया है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश है तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब से माननीय न्यायालय में आई पत्रावली इस

Scanned by CamScanner

प्रार्थना-पत्र के साथ शामिल/सलंग्न किया जावे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त/शुद्ध करवा कर जसराम के स्थान पर सही नाम रामजस दर्ज करवाना चाहता है जो दुरूस्त करवाने का प्रार्थी मुश्तहक है। प्रार्थी उकत रकबा में अपने टीनेन्ट राईट का पूर्णतः एंव निर्बाध उपयोग,उपभोग कर रहे तथा उक्त रकबा पर प्राप्त होने वाली सरकारी/सहकारी सहायता/अनुदान व बैंक ऋण आदि प्राप्त कर सके। अत उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड /जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त/शुद्ध किया जाकर मनीराम पुत्र जसराम के स्थान पर मनीराम पुत्र रामजस दर्ज किए जाने के आदेश श्रीमान तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को प्रदान किये जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ के क्रमांक 4439 दिनांक 14.10.2019 से प्राप्त मूल पत्रावली इस प्रार्थना-पत्र के साथ शामिल की गई।

प्रार्थी वकील योगेन्द्र कुमार एडवोकेट की बहस सुनी गई जिन्होंने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा बहस में कथन किया कि पत्रावली में पेश दस्तावेजों के आधार प्रमाणित है कि पर उक्त रकबा के आंवटन रिकार्ड प्रार्थी के पिता का सही नाम रामजस दर्ज है लेकिन सहबन से प्रार्थी के पिता का नाम रामजस की बजाय जसराम लिखा गया है जो कि गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम रामस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाकर जसराम के बजाय रामजस अंकित करने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। पत्रावली पर आए तथ्यों व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 एवं जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थी मनीराम के पिता का नाम जसराम दर्ज है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 19/8/2019 में रिपोर्ट दी है कि उक्त रकबा की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032-2035 में उक्त रकबा के आवंटन आदेश का अमलदरामद करते समय मनीराम पुत्र जसराम जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा दर्ज किया जाना जो आदिनांक तक बरकरार होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी मनीराम के पिता का नाम जसराम की जगह रामजस किये जाने की शुद्धि की जानी उचित प्रतीत होने की रिपोर्ट दी है। प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित रकबा के दोनों आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, आवंटन प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रति, फर्द अहकाम आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, प्रार्थी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सहकारी किसान कार्ड, बैंक पास बुक, वोटर लिस्ट 1975 की फोटो प्रतियों एवं प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांकित 18.10.19 में प्रार्थी मनीराम के पिता का नाम रामजस अंकित है। प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में अपने पिता का नाम शुद्ध/दुरूस्त करके रामजस अंकित करने का निवेदन किया है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामजस है लेकिन सहबन से उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का रामजस की जगह जसराम दर्ज हो गया है जो शुद्ध/दुरूस्त किया जाकर जसराम की जगह रामजस किये जाने योग्य तथा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक 3 डी.एस. एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 90, पत्थर नं. 84/11 के किला नं. 1 से 25 में कुल 25 बीघा यानि 5.7680 हैक्टर रकबा के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में प्रार्थी मनीराम के पिता का नाम शुद्ध/दुरूस्त किया जाकर जसराम की जगह रामजस अंकित किये जाने को आदेश तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को दिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner